जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंडावली दिनांक 21.07.2025

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 64/25 धारा 64(1)बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.05.2025 को वादी ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि दिनांक 28.05.2025 को वादी की पुत्री ई-रिक्शा चालक अरुण कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम विजयपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर की ई-रिक्शा में बैठकर नजीबाबाद कोचिंग पढने जा रही थी तो रिक्शा चालक अरुण उपरोक्त ने वादी की बेटी को ई-रिक्शा की बैट्री बदलने के लिये कहकर उसको ग्राम राहतपुर खुर्द के किनारे बाग में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

थाना मंडावली पुलिस को मु0अ0सं0 64/25 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अरुण मोटरसाइकिल से सबलगढ की मडैया से भागूवाला की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर थाना मंडावली पुलिस ने सबलगढ की मंडैया के सम्पर्क मार्ग स्थित नहर के किनारे एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु उसने मोटरसाइकिल मोड़कर भागने की कोशिश की और भागते समय मोटरसाइकिल फिसलने से वह गिर गया और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम अरुण पुत्र संजीव निवासी ग्राम विजयपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर (जिस पर नम्बर UP20-SB-89 अंकित है) बरामद की गयी। इस संबंध में थाना मंडावली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि दिनांक 28.05.2025 को उसने अपनी ई-रिक्शा में वादी की पुत्री को कोचिंग के लिए नजीबाबाद ले जाते समय बैट्री बदलने का बहाना बनाकर ग्राम राहतपुर खुर्द के पास स्थित एक बाग में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अरुण पुत्र संजीव निवासी ग्राम विजयपुर मंडावली जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी विवरण-</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस।
2. 01 मोटरसाइकिल (सुपर स्प्लेण्डर)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –</u>

1- उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह, थाना प्रभारी मंडावली जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 संजय कुमार, थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

3- उ0नि0 सोनू कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

4- मुख्य आरक्षी दीपक कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

5- मुख्य आरक्षी अंकुर दूहण थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

6- आरक्षी मोनू थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

7- आरक्षी ब्रिजेश थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर   दिनॉक 21.07.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.07.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.तरूण पुत्र टीकम सिंह उर्फ गुड्डू सैनी 2.अरमान पुत्र मकसूद निवासीगण ग्राम नसीरपुर नैनसिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल(यूपी 20 के 3432) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की गयी अन्य 04 मोटरसाकिलों को भी बरामद किया गया।

बरामद मोटरसाइकिल **(यूपी20के3432)** की चोरी के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है, मोटरसाइकिल **(यूपी11बीएन9408)** की चोरी के संबंध में थाना जनकपुर जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 159/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है, मोटरसाइकिल **(यूपी 20 बीजे 3732)** की चोरी के संबंध में थाना कोतवाली शहर बिजनौर पर मु0अ0सं0 609/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा मोटरसाइकिल **(यूपी21बीआर1015)** की चोरी के संबंध में थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद पर मु0अ0सं0 245/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। शेष मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डाउन (यूपी14एजे6258) के संबंध में जानकारी की जा रही है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण तरूण व अरमान आपस में दोस्त है तथा दोनों मिलकर बिजनौर व आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते है। दोनों ने दिनांक 12.07.2025 को जय शंकर कॉम्पलेक्स लाईबरेरी हल्दौर से मोटरसाइकिल (यूपी20के3432) चोरी की थी। मोटरसाईकिल सीटी बजाज रजि0 नं0– यूपी11बीएन9408 दोनों ने सहारनपुर से चोरी की थी। होन्डा सीडी डाउन मोटरसाईकिल रजि0 सं0– यूपी14एजे6258 दोनों नें मिलकर पिछले वर्ष सावन माह में कांवड यात्रा के दौरान चन्डी घाट हरिद्वार से चोरी की थी। मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस रजि0 सं0– यूपी20बीजे3532 दोनों नें मिलकर विवेक कॉलेज बिजनौर के सामने से चोरी की थी। मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर रजि0 सं0– यूपी21बीआर1015 दोनों ने छोटू उर्फ विशान्त पुत्र

राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर से 4000 रुपये में खरीदी थी। अभियुक्त छोटू उर्फ विशान्त भी मोटरसाईकिल चोरी कर बेचता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.तरूण पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम नसीरपुर नैनसिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2.अरमान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम नसीरपुर नैनसिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1.मोटरसाइकिल काइनेटिक बॉक्स (रजि0 नं0 यूपी 20 के 3432) चेचिस नं0 FE51001021 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 182/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना हल्दौर बिजनौर)

2.मोटर साइकिल सीटी बजाज रजि0 नं0 यूपी 11 बीएन 9408 चेचिस नं0 MD2A18AY7JWG05150 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 159/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर)

3.मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सीडी डान रंग काला रजि0 नं0 यूपी 14 एजे 6258 चेचिस नं0 08B22F05177

4.मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 यूपी 20 बीजे 3732 चेचिस नं0 MBLHAR08XJHK17570 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 609/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना को0शहर बिजनौर)

5.मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस रंग सिलवर रजि0 नं0 यूपी 21 बीआर 1015 चेचिस नं0 MBLHARO81HHJ03175 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 245/21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तरूण उपरोक्त–

1. मु0अ0सं0 182/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 159/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 609/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 245/21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरमान उपरोक्त–

1. मु0अ0सं0 182/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 159/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 609/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 245/21 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.व0उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 पवनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4.का0 1550 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5.का0 1389 ओमवीर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6.का0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर दिनांक 21.07.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 409/25 धारा 333/69/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.07.25 को वादिया ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त उमर पुत्र मौ0 शाहिद निवासी मौ0 मानकचन्द कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया व वादिया के विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 409/25 धारा 333/69/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उमर पुत्र मौ0 शाहिद निवासी मौ0 मानकचन्द कस्बा व थाना नगीना जिला बिजनौर को को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उमर पुत्र मौ0 शाहिद निवासी मौ0 मानकचन्द कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 333/20 धारा 323/498ए/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 व 3/4 मु0म0वि0 अधि0 थाना नगीना बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 409/25 धारा 333/69/115(2)/351(2) बीएनएस थाना चाँदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री हरस्वरूप शर्मा थाना चांदपुर बिजनौर

2.का0 1843 सोनू नागिल थाना चांदपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर　　　**दिनांक 21.07.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 228/2025 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.07.2025 को वादी विरेश कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम नवादा रवाना उर्फ तेलीपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 09.07.2025 को उसकी पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गयी है,जो काफी तलाश करने पर भी नही मिली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त आदित्य कुमार आर्यन पुत्र राजेश कुमार रवि निवासी कैन्दुआ गढहा थाना बैंगाबाद जनपद गिरिडीह (झारखण्ड) का नाम प्रकाश में आया तथा आज दिनांक 21.07.2025 को अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आयें कि अपहृता अभियुक्त आदित्य कुमार आर्यन उपरोक्त को पिछले 01 वर्ष से जानती थी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे बात किया करती थी और आदित्य पीडिता को अपने साथ दिल्ली से बैंगलोर ले गया था और वहां उसने पीडिता के साथ गलत काम किया तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आदित्य कुमार आर्यन पुत्र राजेश कुमार रवि निवासी कैन्दुआ गढहा थाना बैंगाबाद जनपद गिरिडीह (झारखण्ड) को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदित्य कुमार आर्यन पुत्र राजेश कुमार रवि निवासी कैन्दुआ गढहा थाना बैंगाबाद जनपद गिरिडीह (झारखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.म0उ0नि0 श्रीमति जूही थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री रजत राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.का0 गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर